#### <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः 275 / 18</u> संस्थापन दिनांकः — 04 / 05 / 18 फाईलिंग नं. **106** / 2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोजन</u>

## वि रू द्ध

रघुनाथ पिता फुन्दलाल यादव, उम्र 42 वर्ष, निवासी चिखली आमढाना, थाना रानीपुर, जिला बैतूल

.....अभियुक्तगण

# <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

# (आज दिनांक 04.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं०सं० एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.04.2018 को समय शाम 05:10 बजे स्थान थाना आमला से 12 किलोमीटर उत्तर में ग्राम घीसी स्थित आम के पेड़ के पास थाना आमला जिला बैतूल में मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएम—9760 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटर सायकिल को बिना लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी रामसू दिनांक 24.04.2018 को अपनी मोटर सायिकल से खैरवानी से लादी लिलता एवं शिवराम के साथ जा रहा था। तभी ग्राम घीसी रोड पर आम के पेड़ के पास सामने से बजाज सीटी 100 मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएम—9760 के चालक रष्ट गुनाथ ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक उसकी गाड़ी चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी जिससे उसे बांये हाथ की कोहनी के नीचे एवं लिलता को सिर के पीछे, पैर में तथा शिवराम को दांहिने हाथ में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 203/18 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएम—9760 मय रिजस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया।

अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया गया। अभियुक्त के पास झ्रायविंग लायसेंस एवं वाहन का बीमा न होने से अभियोग पत्र में धारा 3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण का अभियुक्त रघुनाथ से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 337(तीन काउंट में) भा. द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 279 भा.दं.सं. एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये। मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

#### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएम—9760 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना के समय उक्त मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

# | | <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> | | विचारणीय प्रश्न क. 01 का सकारण निष्कर्ष

6 रामसू (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना पिछले माह की 24 तारीख की है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायिकल हीरो डिलक्स से अपनी लिलता एवं शिवराम के साथ खैरवानी से लादी तरफ जा रहा था। ग्राम घीसी रोड पर आम के पेड़ के सामने छाव होने से उसने अपनी गाड़ी रोकी थी तभी सामने से बजाज सीटी 100 के चालक रघुनाथ ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी जिससे वह अपनी मोटर सायिकल से गिर गया था और उसे, लिलता एवं शिवराम को चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाना आमला में की थी एवं पुलिस ने घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी ने

उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन ने किये जाने से साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त और उसकी मोटर सायिकल की आपस में टक्कर हुई थी और अभियुक्त ने मोटर सायिकल को तेजी व लापरवाही से नहीं चलाया था।

7 साक्षी रामसू (अ.सा.—1) ने अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा मोटर सायिकल बजाज सीटी 100 को चलाकर उसे टक्कर मारना बताया है परंतु अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने से पूर्णत : इनकार किया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने बजाज सीटी 100 मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएम—9760 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

#### विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

साक्षी रामसू (अ.सा.-1) ने अभियुक्त के द्वारा उसे बजाज सीटी 100 मोटर सायकिल से टक्कर मार दिया जाना बताया है तथा उपर्युक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने के अपने कथन पर अखंडित हैं। इसके अतिरिक्त फरियादी द्वारा प्रकरण में कथित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथन में भी अभियुक्त का नाम लिखाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त रामसू के द्वारा घटना दिनांक को प्रकरण में कथित मोटर सायकिल चलाया जाना पूर्णतः स्थापित है। अभियुक्त के उपर ध ाटना दिनांक को मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाये जाने का भी आरोप है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालक पर वाहन का वैध बीमा होना तथा वैध लायसेंस का होना प्रमाणित करने का भार होता है। अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को वाहन का वैध बीमा होने एवं अभियुक्त का वैध लायसेंस होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह उपधारित किया जायेगा कि घटना दिनांक को सीटी मोटर के द्वारा बजाज 100 एमपी-48-एमएम-9760 को बिना वैध बीमा एवं लायसेंस के चलाया गया।

## विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

9 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएम—9760 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया किंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएम—9760 को बिना लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त रघुनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

10 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

#### पुनश्च :-

- 13 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त मजदूर पेश होकर उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबिक विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 14 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 15 अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। फलतः उभयपक्ष के तर्कों को विचार में रखते हुए एवं अभियुक्त की आर्थिक स्थिति तथा उभयपक्ष के मध्य हुए

राजीनामा को विचार में रखते हुए अभियुक्त को निम्नानु।सर अर्थदंड से दंडित किया जाता है :--

नाम अभियुक्त	धारा	अर्थदंड	जुर्माना अदा न करने की दशा में सश्रम कारावास
रघुनाथ पिता	3 / 181 मो.अधि.	500 / -	07 दिवस
फुन्दलाल	146 / 196 मो. अधि.	500 / —	07 दिवस

- 16 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएम—9760 मय रिजस्ट्रेशन के अभियुक्त / वाहन स्वामी रघुनाथ पिता फुन्दलाल निवासी चिखली आमढाना, थाना रानीपुर, जिला बैतूल को प्रदाय की जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 17 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)